

लोकतंत्र का विरोधाभास: भारत में नागरिकता शासन और राज्य

UPSC प्रासंगिकता: सामान्य अध्ययन पेपर-2: लोकतंत्र, शासन, संविधान, अधिकार और नागरिक-राज्य संबंध

चर्चा में क्यों?

- भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) इस समय भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा पूरे देश में किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की कानूनी चुनौती पर सुनवाई कर रहा है।
- यह मामला नागरिकता के निर्धारण, निर्वाचन आयोग (ECI) की शक्तियों और गृह मंत्रालय (MHA) की शक्तियों के बीच के टकराव, तथा एक लोकतांत्रिक ढांचे में व्यक्तिगत अधिकारों और राज्य के प्राधिकार के बीच चल रहे तनाव के बारे में मौलिक प्रश्न उठाता है।



पृष्ठभूमि

- भारत में नागरिकता मुख्य रूप से नागरिकता अधिनियम, 1955 द्वारा शासित होती है, जिसमें कई बार संशोधन किए गए हैं (विशेष रूप से 2003, 2004, 2019 में)।
- जबकि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) सभी निवासियों को सूचीबद्ध करता है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) केवल उन्हीं लोगों की पहचान करता है जिन्होंने कानूनी रूप से अपनी नागरिकता स्थापित की है।
- **साबित करने का भार (Onus of Proof):** नागरिकता व्यक्ति को स्वयं सिद्ध करनी होती है; राज्य स्वचालित रूप से इसे सत्यापित नहीं करता।
- **जन्म से नागरिकता:** शुरुआत में यह 'जस सोली' (Jus Soli - जन्म स्थान का अधिकार) पर आधारित थी, लेकिन अब इसमें 'जस सैंगुइनिस्' (Jus Sanguinis - रक्त संबंध का अधिकार) को शामिल किया गया है, जिसमें अवैध अप्रवासियों और उनके वंशजों से संबंधित प्रतिबंध लगाए गए हैं।
- **राष्ट्रीय पहचान पत्र:** एमएनआईसी (MNIC) (2008) जैसे पायलट कार्यक्रमों में बायोमेट्रिक पहचान पत्र पेश किए गए, लेकिन एक व्यापक रोलआउट अभी भी लंबित है।
- **SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण)** प्रभावी रूप से राष्ट्रव्यापी नागरिक सत्यापन का एक प्रतिनिधि (Proxy) है, जो असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) अभ्यास की याद दिलाता है, जिसमें लाखों लोगों को "संदेहास्पद" (Doubtful) चिह्नित किया गया था और उन्हें विदेशी न्यायाधिकरणों (Foreigners Tribunals) के तहत आने की जाँच के अधीन किया गया था।

मुख्य मुद्दे और चुनौतियाँ

1. प्राधिकारों का संघर्ष (Conflict of Authority)

- केवल गृह मंत्रालय (MHA) ही औपचारिक रूप से नागरिकता का निर्धारण कर सकता है, फिर भी निर्वाचन आयोग (ECI) को चुनावी पात्रता को सत्यापित करने के लिए नागरिकता का कुछ मूल्यांकन करना आवश्यक होता है।
- इस बात पर कानूनी अस्पष्टता उत्पन्न होती है कि क्या SIR एक औपचारिक निर्धारण है या केवल एक प्रशासनिक सत्यापन।

2. व्यक्तियों पर भार (Burden on Individuals)

- नागरिकों को दशकों पुराने विरासत दस्तावेजों (legacy documents) का उपयोग करके अपनी स्थिति साबित करनी पड़ती है।
- दस्तावेजों का पालन न करने या प्रमाण के अभाव में मतदाता सूची से बाहर किए जाने, मतदान अधिकार निलंबित होने, या निर्वासन (deportation) का परिणाम हो सकता है (जैसा कि असम में देखा गया)।

3. लोकतांत्रिक विरोधाभास (Democratic Paradox)

- राज्य, जिसका निर्माण लोगों द्वारा किया गया है, वही एक साथ यह तय करता है कि "लोग" के रूप में कौन योग्य है।
- स्थानीय अधिकारी – शिक्षक, क्लर्क और पुलिस – नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले निर्धारण करने के लिए सशक्त हो जाते हैं।
- यह द्वैत (duality) नागरिकों की संप्रभुता

(sovereignty) और प्रशासनिक प्राधिकार के बीच तनाव पैदा करता है।



— @resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806 —

4. असम NRC अध्ययन (Assam NRC Case Study)

- नागरिकता अधिनियम (1985) की धारा 6A ने असम के लिए एक अलग ढाँचा बनाया, जिसके कारण 2019 के मसौदा NRC में 19 लाख निवासियों को संदेहास्पद के रूप में चिन्हित किया गया।
- ऐतिहासिक दस्तावेजों, निवास प्रमाणों, और माता-पिता के संबंध पर निर्भरता बड़े पैमाने पर नागरिकता सत्यापन की व्यावहारिक चुनौतियों को दर्शाती है।

आगे की राह

- स्पष्ट कानूनी ढाँचा: अधिकार क्षेत्र के टकराव से बचने के लिए निर्वाचन आयोग (ECI) और गृह मंत्रालय (MHA) की नागरिकता सत्यापन में भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें।
- पारदर्शिता और निष्पक्षता: प्रक्रियाएँ नागरिक-अनुकूल होनी चाहिए, जिसमें अपील और सुधार के अवसर (avenues) हों।

- **डिजिटल एकीकरण:** गोपनीयता की सुरक्षा करते हुए सत्यापन को सुव्यवस्थित करने के लिए सुरक्षित बायोमेट्रिक और डिजिटल पहचान प्रणालियों का उपयोग।
- **जन जागरूकता:** समावेशन (inclusion) सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं और उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है।
- **संतुलित शासन:** लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए तंत्रों को राज्य के प्राधिकार को व्यक्तिगत अधिकारों के साथ सुलह (reconcile) करना चाहिए।

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

Q1. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. NPR में भारत के सभी निवासी शामिल होते हैं, चाहे उनकी नागरिकता कुछ भी हो।
2. NRC में केवल वे निवासी शामिल होते हैं जो भारतीय नागरिकता प्रमाणित कर सकते हैं।
3. NPR में शामिल होना स्वतः ही NRC में शामिल होने की गारंटी नहीं देता।

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही हैं?

- A. केवल 1
- B. 1 और 2
- C. 2 और 3
- D. 1, 2 और 3



Q2. भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे बच्चों को स्वतः नागरिकता प्राप्त होती थी।
2. 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्मे बच्चों के लिए कम से कम एक माता-पिता का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
3. 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे बच्चों को माता-पिता की स्थिति की परवाह किए बिना स्वतः नागरिकता मिलती है।

सही उत्तर चुनें:

- A. 1 और 2
- B. 1 और 3
- C. 2 और 3
- D. 1, 2 और 3

मेन्स अभ्यास प्रश्न

“भारत में नागरिकता निर्धारित करने का कार्य लोकतंत्र के मूल में एक विरोधाभास को उजागर करता है: राज्य, जिसे जनता ने बनाया है, तय करता है कि ‘जनता’ कौन है। भारत में नागरिकता सत्यापन के कानूनी, प्रशासनिक और नैतिक पहलुओं की समीक्षा कीजिए, विशेष रूप से NPR और NRC के संदर्भ में।”
(150-200 शब्द)

IAS-PCS Institute



Result Mitra
रिजल्ट का साथी



@resultmitra



www.resultmitra.com



9235313184, 9235440806



www.resultmitra.com